संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **(जिला विधि प्रशाखा)** **रागिनी देवी बनाम नीतू कुमारी** **ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन वाद सं0 41/ 2011** **आदेश**	
10/6/2012	यह अपील वाद ग्राम कचहरी सचिव नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के आदेश दिनांक 17/9/2009 के विरूद्ध दायर किया गया। अपीलकर्त्ता रागिनी देवी ने अनुमंडल पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए समर्पित किया है कि सारण जिले के एकमा प्रखंड के रसूलपुर ग्राम कचहरी के सचिव पद के लिए चयनित प्रतिवादी नीतू कुमारी चयन के समय उक्त पंचायत की निवासी नहीं थी और इसलिए ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए वह अर्हताधारी नहीं थी। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त कई साक्ष्यों को उपस्थापित करते हुए अपीलकर्त्ता रागिनी देवी ने यह आरोप लगाया कि प्रतिवादी नीतू कुमारी ने एक ही साथ सारण जिले के एकमा प्रखंड के रसूलपुर ग्राम कचहरी तथा सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के बघौना ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए वर्ष 2007 में आवेदन दिया था। प्रतिवादी नीतू कुमारी सीवान जिले के ग्राम कचहरी बघौना के लिए तैयार मेधा सूची में द्वितीय स्थान पर थी और उसे अंचलाधिकारी, सिसवन द्वारा सीवान जिले के स्थायी निवासी होने का प्रमाण–पत्र वर्ष 2006 में निर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त वह सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली–2007 में भी निर्वाचक के रूप में अंकित है। वर्ष 2006 के पंचायत निर्वाचन के लिए तैयार मतदाता सूची और विधान सभा के वर्ष 2008 एवं 2009 के लिए तैयार मतदाता सूची में भी प्रतिवादी नीतू कुमारी का नाम अंकित है। अपीलकर्त्ता ने उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह आरोप लगाया कि चयनित सचिव–सह–प्रतिवादी ने गैर–कानूनी तरीके से एक ही समय में दो जिलों के स्थायी निवासी होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है और अवैध तरीके से उसका चयन ग्राम कचहरी सचिव पद पर किया गया है। उपरोक्त आरोपों का खंडन करते हुए प्रतिवादी ने यह स्पष्ट किया	

तरह वैध तरीके से किया गया है और वह सारण जिले की ही स्थायी निवासी है। अपनी दलील में वर्ष 2006 में निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 1980 के एक निबंधित दस्तावेज को संलग्न करते हुए प्रतिवादी नीतू कुमारी ने स्पष्ट किया कि उसने वर्ष 2008 में अपना नाम सीवान जिले के सिसवन अंचल के सुबहरी ग्राम से विलोपित करने के लिए आवेदन दिया था। साथ ही उसने यह भी दावा किया कि उसका नाम वर्ष 2007 के लिए तैयार निर्वाचक नामावली में सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र में अंकित है और उसे इस आशय का निर्वाचक पहचान पत्र भी वर्ष 2004 में ही निर्गत किया गया है। अपना लिखित पक्ष रखते हुए प्रतिवादी नीतू कुमारी ने यह भी कहा कि उसके दो स्थानों से स्थायी निवासी होने में कोई अवैधानिकता नहीं है। इस संदर्भ में उसने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा शोभाकांत सुमन बनाम राज्य एवं अन्य, अलोक कुमार बनाम राज्य एवं अन्य, अभय कुमार बनाम भारत गणराज्य एवं अन्य, मंजू कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य तथा संतोष कुमार झा बनाम राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों का हवाला देते हुए कहा कि उसके सारण जिले के निवासी होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है और इस प्रकार अपील में किसी प्रकार का तथ्य नहीं है।

इस वाद में पहले प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 606 दिनांक 27/3/2012 द्वारा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के प्रतिवेदन को समर्पित किया है। इस प्रतिवेदन में प्रतिवादी नीतू कुमारी को निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के लिए निर्गत कागजात तथा भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र एवं निर्वाचक नामावली आदि का संदर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि नीतू कुमारी को नियमानुसार ग्राम रसूलपुर का निवासी माना जा सकता है।

मेरे द्वारा अभिलेख तथा उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया गया। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नीतू कुमारी ने वर्ष 2007 में एक साथ सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के बघौना ग्राम कचहरी तथा सारण जिले के एकमा प्रखंड के रसूलपुर ग्राम कचहरी के सचिव पद के लिए आवेदन दिया था। सीवान जिले के बघौना ग्राम कचहरी के लिए उसने अंचलाधिकारी, सिसवन द्वारा निर्गत निवास प्रमाण-पत्र कमांक 138 दिनांक 12/7/2006 तथा सारण जिले के रसूलपुर ग्राम कचहरी के लिए जिलाधिकारी, सारण द्वारा

है।

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, छपरा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संख्या 10657 दिनांक 2/8/2006 के आधार पर जारी किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र भी अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया था। स्पष्ट है कि ये दोनों आवेदन लगभग एक ही समय में किए गए थे और दोनों निवास प्रमाण-पत्रों के निर्गत होने का समय भी लगभग एक है। स्पष्टतः नीतू कुमारी दोनों जिलों के स्थायी निवासी होने का दावा एक ही समय में नहीं कर सकती है। वस्तुतः नीतू कुमारी के पक्ष में दोनों जिलों से संबंधित साक्ष्यों हैं और यह स्पष्ट है कि उसने अपनी सुविधानुसार दोनों जिलों में अपने स्थायी निवासी होने के दावे को कम-से-कम वर्ष 2008 तक बनाये रखा। जब उसने दिनांक 15/6/2008 को सीवान जिले के निर्वाचक नामावली से अपने नाम को हटाने का आवेदन समर्पित किया। उल्लेखनीय है कि यह चयन वर्ष 2007 में हुआ है और इसका आधार वर्ष 2006 में निर्गत आवास प्रमाण-पत्र है। प्रतिवादी नीतू कुमारी के पक्ष में वर्ष 2006 के जुलाई-अगस्त माह में सारण तथा सीवान जिले के दो अलग-अलग आवासीय प्रमाण-पत्र है।

यह विधिमान्य है कि किसी व्यक्ति का आवास परिवर्तित हो सकता है और उसे अपने निवास स्थान बदलने का मौलिक अधिकार है, किन्तु यह पूरी तरह तर्क के परे और विधि के प्रतिकूल है कि कोई व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार एक ही समय में अलग-अलग स्थानों का स्थायी आवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करे। स्पष्टतः आवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने में किसी सरकारी प्राधिकार से भूल हुई है। किन्तु, इतना स्पष्ट है कि प्रतिवादी नीतू कुमारी ने जान-बूझकर दो अलग-अलग जिलों में एक साथ आवेदन कर इन आवास प्रमाण-पत्रों का लाभ उठाया है। यह एक आपराधिक धोखाधड़ी है। वर्ष 2008 में सीवान जिले के निर्वाचक नामावली से नाम हटाने का दिया गया आवेदन इस धोखाधड़ी पर पर्दा डालने का प्रयास मात्र है और प्रतिवादी नीतू कुमारी को अपनी सुविधानुसार अलग-अलग स्थानों का स्थायी निवसी होने का लाभ नहीं दिया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेशों की प्रासंगिकता इस मामले में नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिवादी नीतू कुमारी ने स्वयं ही अपने लिए वैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न की हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं संतुष्ट हूँ कि नीतू कुमारी चयन के समय निवास स्थान के बिन्दु पर अर्हताधारी नहीं थी और उसका चयन अवैध है।

इस प्रकार अपीलीय आवेदन को स्वीकृत करते हुए सारण जिले के एकमा प्रखंड के रसूलपुर ग्राम कचहरी सचिव पद पर चयनित नीतू कुमारी का चयन रद्द किया जाता है और ग्राम कचहरी को आदेश दिया जाता है कि वह मेधा सूची के क्रम में अगली अभ्यर्थी का चयन अधिकतम 15 दिनों के भीतर करें।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकमा को आदेश दिया जाता है कि वह इस बात का पुनः जाँच करें कि आज की तिथि में नीतू कुमारी को निर्गत आवास प्रमाण-पत्र वैध है या नहीं। जाँच में यह स्पष्ट देखा जाय कि क्या आज भी नीतू कुमारी किसी अन्य स्थल पर स्थायी निवासी होने का लाभ उठा रही है। यदि यह सिद्ध होता है तो उसके निर्गत आवास प्रमाण-पत्र को रद्द करने का प्रस्ताव सक्षम् प्राधिकार को भेजें। यह कार्रवाई अधिकतम एक माह के भीतर हो जानी चाहिए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

15/6/12

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/6/12

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

संशोधित
1511
15/6/12